



मध्यप्रदेश नियन्त्रण बोर्ड गोपनीय

राजस्थान—सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

स्वास्थ्य भवन, तिलक नगर, सी-स्कीम, जयपुर

दूरभाष सं० : ०१४१-२२२४८७८

क्रमांक: एफ०४(१५९) / एमएनजेवाई / बजट / २०१४-१५ / ८६७ दिनांक: २६.०३.१५

विधानसभा से संबंधित अति-आवश्यक

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषय:-मुख्यमंत्री नियन्त्रक जांच योजना अन्तर्गत आवंटित बजट के पूर्ण उपयोग के बाबत।
संदर्भ-परिवर्तित बजट निर्णयक समिति (वर्ष २०१४-१५) की बैठक के निर्णय अनुसार एवं इस कार्यालय के पत्रांक ३५० दिनांक २६.०३.२०१४ के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१४-१५ में मुख्यमंत्री नियन्त्रक जांच योजना के सफल संचालन व क्रियान्वयन हेतु चिकित्सा संस्थानों के लिए समय-समय पर मुख्यालय से विभिन्न मर्दों (०१ संवेतन, १२ ग्रांट इन एड, १८ मर्शीनरी एवं उपकरण) में राशि हस्तांतरित की जा रही है।

परिवर्तित बजट निर्णयक समिति (वर्ष २०१४-१५) की बैठक के कार्यवाही विवरण अनुसार आवंटित बजट राशि के नियमानुसार समयबद्ध उपयोग में लिये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में दूरभाष पर व मौखिक रूप से भी आपको अवगत कराया जाता रहा है। आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों में एमआरएस/संविदा/प्लॉस्मेट एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों के व न्यायालय प्रकरण के अधीन कार्यरत रोगी सलाहकारों के मानदेय भुगतान समय पर व नियमानुसार किये जाने तथा एजेंसियों से नियमानुसार भुगतान दिलाया जाना भी सुनिश्चित करें। जिससे इन कार्मिकों से संबंधित किसी भी प्रकार की न्यायालय अवमानना व शिकायत प्रकरण प्राप्त नहीं हो।

अतः योजनान्तर्गत आवंटित राशि का दिनांक ३१ मार्च २०१५ तक पूर्ण उपयोग करते हुए एवं अविलम्ब फरवरी २०१५ तक किये गये व्यय का ब्यौरा मदवार आज ही आवश्यक रूप से ई-मेल rmsc.mnjy@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करावें। व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भिजवाने की स्थिति में की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिमदार होंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

दिनांक :

क्रमांक: एफ०४(१५९) / एमएनजेवाई / बजट / २०१४-१५ /

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रविष्ट है।

- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिठ्ठी एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
- नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री नियन्त्रक जांच योजना, जयपुर।
- समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) को भेजकर लेख है कि आपके जाने के अधीन चिकित्सा संस्थानों को मुख्यालय द्वारा जारी किये गये बजट के ३१.०३.२०१५ तक पूर्ण उपयोग करते हुए माह फरवरी २०१५ तक के लिया विवरण अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें। तथा दिनांक २६.०३.२०१५ तक जोन की रिपोर्ट अद्योहस्ताकारकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर